पत्रांक :– 9/पोशाक यो0–06/2014 ....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

डी० एस० गंगवार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (लेखा एवं योजना)
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान)।

पटना, दिनांक :– ....

विषय:– राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 18.01.2016 से छात्रवृति वितरण हेतु लाभुकों के बैंक खाता में देय राशि का R.T.G.S के माध्यम से कैश–ट्रान्सफर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 18.01.2016 से छात्रवृति के तहत पारदर्शिता के साथ लाभुकों के बैंक खाता में देय राशि का कैश–ट्रान्सफर के संबंध में विभागीय पत्रांक 865 दिनांक 16.10.2015 द्वारा आगामी 01 जनवरी 2016 से विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाता में R.T.G.S के माध्यम से अंतरित किये जाने के संबंध में आवश्यक निदेश दिया गया है। लाभुक आधारित योजनाओं का R.T.G.S के माध्यम से राशि अंतरित करने हेतु निम्नांकित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

1. संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं का बैंक खाता खोलवाया जाए। वैसे छात्र–छात्रा जिनका खाता नहीं खुला है वे अपने माता–पिता अथवा अभिभावक का बैंक खाता (छायाप्रति) अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करायेंगे। बैंक खाता में प्रविष्ट छात्र–छात्रा के माता–पिता अथवा अभिभावक के नाम पर करने के पूर्व उसका सत्यापन प्रधानाध्यापक विद्यालय के अभिलेख के आधार पर सुनिश्चित करेंगे।

2. संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के स्तर पर विद्यालयवार सभी छात्र–छात्राओं के बैंक खाता का सूचना विहित प्रपत्र (संलग्न) में एकत्रित की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं से संबंधित ऑकड़ा विहित प्रपत्र में एकत्रित कर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिनांक 10.01.2016 तक उपलब्ध करायेंगे। विद्यालय से प्राप्त विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

3. संबंधित विद्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनके द्वारा छात्र–छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की राशि R.T.G.S के माध्यम से सीधे अंतरित (Transfer) कर दी जाएगी।

4. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त की राशि बैंक अंतरण के माध्यम से दिनांक 18.01.2016 से छात्रों/अभिभावकों के खाता में अंतरित कर दें।

// K.V.N.Singh 13.08.15

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निदेश के अनुसार सभी छात्र–छात्राओं के खाता से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में आँकड़े का संग्रह हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में किए जाने की प्रगति की समीक्षा आगामी राज्यस्तरीय बैठक में की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह०/–

(डी० एस० गंगवार)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 9/पोशाक यो0–06/2014 1014 पटना, दिनांक– 22/12/2015

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

Education Department

Classwise List of Students for Money-Transfer of welfare Schemes

District Name :-

School Name :-

(Fill in Capital letters)

Block/Nager Name :-

DISE Code of School :-

Class :- ....

Sl. No.	Name of Student	Date of Birth	Father/Mother Name	Name of Village/ward	Account No. of Student/Parents/Guardian	Bank Name with IFS Code	If Joint Account, Name of Joint Account Holder	Relation with Account Holder	Mobile No. of Account Holder	Adhar No. of Student (If Available)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

(Signature of Headmaster)